

28.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को दिनांक 17.2.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थीगण की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं सलंगन राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदारान है, और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानी चाहते है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।


उपर्युक्त अधिकारी
सिणधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत केम्प-अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चौसिरा)

पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 08/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मानाराम पुत्र भैराराम		1. चन्द्रावती पत्नी खेराजराम
2. जेठाराम पुत्र मोतीराम		2. तुलसाराम पुत्र देरामाराम
3. आम्बाराम पुत्र मोतीराम		3. नवलाराम पुत्र देरामाराम
4. वीरों देवी पत्नी मोतीराम		4. चिमनाराम पुत्र दुर्गाराम
जाति जाट		5. पुरखाराम पुत्र खीयाराम
निवासी मोतीनगर		6. पुरखाराम पुत्र खीयाराम
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		7. अणदाराम पुत्र खीयाराम
		8. शम्भुराम पुत्र वीजाराम
		9. राजूराम पुत्र वीजाराम
		10. तुलसाराम पुत्र वीजाराम
		11. राणाराम पुत्र वीजाराम
		12. वगताराम पुत्र वीजाराम
		जाति जाट निवासी मोतीनगर
		तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थित:-1.श्री बीजाराम गोदारा वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2.विप्रार्थीगण:-एकतरफा।

आदेश

दिनांक-28 .6.18



उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1. संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 123/5, 123/8, 123/9 व 123/4 रकबा क्रमशः 22-00, 4-17, 2-09 व 37-08 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 123/5, 123/8, 123/9 व 123/4 रकबा क्रमशः 22-00, 4-17, 2-09 व 37-08 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस करवाई गई। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 123/5, 123/8, 123/9 व 123/4 रकबा क्रमशः 22-00, 4-17, 2-09 व 37-08 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 123/5, 123/8, 123/9 व 123/4 रकबा क्रमशः 22-00, 4-17, 2-09 व 37-08 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सलमन दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 123/5, 123/8, 123/9 व 123/4 रकबा कमशः 22-00, 4-17, 2-09 व 37-08 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं, जो पत्रावली के सलंगन विवादित भूमि संवत् 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 123/5, 123/8, 123/9 व 123/4 रकबा कमशः 22-00, 4-17, 2-09 व 37-08 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही तहसीलदार सिणधरी करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



(अंजुम ताहिर समा)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.6.18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी